सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक – 10.11.2011 एवं ज्ञापांक /2905 दिनांक 11.07.14 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0, डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, छपरा सदर द्वारा प्रखंडवार/नगरनिकायवार वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुमोदित योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल –01, छपरा के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पत्रांक 2459 दिनांक 15.10.2018, पत्रांक 2704 दिनांक 19.11.2018, पत्रांक 268 दिनांक 24.01.2019 एवं पत्रांक 546 दिनांक 07.02.2019 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। अतः कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन, कार्यप्रमंडल – 01, छपरा के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति की तकनीकी राशि पर उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा के पत्रांक 1216 दिनांक 09.07.2019 द्वारा सात निश्चय से विलोपन संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्रं0	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय विधायक का नाम
1	सदर	नैनी काकन टोली में हरेश्वर सिंह के घर से खुशीलाल सिंह के घर तक पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण।	982800.00	982800.00	डॉ0 सी0एन0 गुप्ता
2	"	साढ़ा पंचायत मौना जटही पोखरा सियरमरवा टोला में अवधेश मॉझी के घर से होते हुए प्रो0 चिरंजीवी लोचन के घर तक पी0सी0सी0 निर्माण।	921400.00	921400.00	"
3	"	सदर प्रखंड अंतर्गत साढ़ा पंचायत ग्राम उमानगर के पश्चिमी छोड़ शिक्षक सुरेश प्र0 के घर से उत्तर अमरेन्द्र कुमार सिंह के घर तक पी0सी0सी0 निर्माण।	873000.00	873000.00	"
4	"	साढ़ा पंचायत हेमनगर में जयमंगल सिंह के घर से पूर्व विधायक जनक सिंह के घर तक पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण।	329000.00	329000.00	"
5	"	साढ़ा पंचायत शक्तिनगर में शंकर सिंह के घर से रामसागर सिंह के घर तक पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला निर्माण।	679400.00	679400.00	"
6	"	साढ़ा पंचायत सदर प्रखंड में बाईपास रोड कदम चौक के पास श्री प्रकाश सिंह (प्रोपर्टी डीलर) के घर होते हुये पशुपति सिंह के घर तक पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण।	757700.00	757700.00	"
7	"	ग्राम उमधा पंचायत फकुली सदर प्रखंड में मोहर राम के घर से राजदेव सिंह अनन्त सिंह के घर के रास्ते में 500 मी0 की दूरी तक पी0सी0सी0 रोड का निर्माण।	527000.00	527000.00	"
8	"	साढ़ा पंचायत कामता सखी मठ सदर प्रखंड अंतर्गत एवं भगवान पाण्डेय के घर से हरिशंकर शर्मा के मकान तक पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला निर्माण निर्माण।	130600.00	130600.00	"
9	"	ग्राम फकुली पंचायत फकुली प्रखंड सदर छपरा में जय किशोर बैठा के घर से किशोर सिंह के घर तक पी0सी0सी0 रोड तथा नाला निर्माण।	353000.00	353000.00	"
10	"	गुदरी वार्ड नं0–9 छपरा नगर निगम में मुनीबजी किराना दुकान से रामनाथ साह के दुकान होते हुये मेन रोड तक पी0सी0सी सड़क एवं एंगिल ड्रेन का निर्माण (800X6/8 फीट)	800300.00	800300.00	"

11	"	छपरा नगर निगम वार्ड नं0–14 में गणेश सिंह के घर से ललन प्रसाद के घर तक फलैक (सोंलिग) निर्माण।	135300.00	135300.00	"
		कुल :–	6489500.00	6489500.00	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :– (चौसठ लाख नवासी हजार पॉच सौ रुपये मात्र।)

<u>कार्यकारी एजेन्सी का नाम :–</u> इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य विभागीय/निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल– 01, छपरा द्वारा योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 5255 दिनांक 23.06.14 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार के द्वारा विभागीय/निविदा आमंत्रित कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

<u>कार्यान्वयन की शर्तें</u>

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी।
2. सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार स रकार के पत्रांक 5225 दिनांक – 23.09.14 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत योजनाओं के लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओ के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना–कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबधित प्रशासी विभाग को स्थानातरिंत किया जा सके।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजना का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थान्तरित किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. अंचलधिकारी, छपरा, सदर से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न) अंचलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि पर ही योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक माह की 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय, सारण (छपरा) को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

ह0/-

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 740/यो0 दिनांक 12/07/2019

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल –01, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपिः– सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला एवं कोषागार पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय स0वि0स0, छपरा सदर को सूचनार्थ प्रेषित।

12.07.19

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।